



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व ₹20,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 450/2012 धारा-2/3 गैंगस्टर अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तगण 1.धीरज उर्फ धीरू नाई पुत्र श्यामलाल 2.वसीम कुंजड़ा पुत्र शमीम निवासीगण पठनऊ थाना राठ 3.खालिक कसाई पुत्र रमजान नि0 फरसौलियाना थाना राठ 4.अशोक यादव पुत्र बैजनाथ नि0 दीवानपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष के कारावास व ₹20,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री सुशील
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-
उ0नि0 अनिल कुमार
राय



पैरोकार- थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव